TS No- 700
18.03.24

मुख्य अभियंता–2 (गया) का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–मु0अ0–2/प्रा0–01–75/2024 248 अ0 पटना, दिनांक–18/3/24

प्रेषक,

मुख्य अभियंता–2 (गया)
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, गया।

विषयः–ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी के अधीन शीर्ष MMGSY (NDB) Awsesh अन्तर्गत स्वीकृत कुल 06 (छः) अदद योजनाओं का पथ निर्माण एवं पाँच वर्षीय रख–रखाव कार्य के प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंगः–आपका पत्रांक 442 अनु0 दिनांक 15.03.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल 06 (छः) अदद पथों का प्राक्कलन प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। पथों का नाम प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग एवं राशि तथा प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

2. प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग एवं राशि क्रमशः परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ क्रमशः 04 एवं 05 में अंकित है।
3. स्वीकृति प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगें।
4. स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की प्रावैधानित पुल/पुलिया स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित करेंगे।
5. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को ससमय तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
7. अधीक्षण अभियंता, कार्य अचंल, गया ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, दर विश्लेषण कर केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
8. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के चार्ट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की स्थल जाँच आप स्वयं कर सूचित करेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है।
9. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात वहाँ से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
10. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।

18/3/24

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी के अधीन शीर्ष MMGSY (NDB) Awsesh अन्तर्गत प्रावैधिक स्वीकृति प्रदत योजनाओं की सूचीः–

क्र0 सं0	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0 में)	प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (निर्माण कार्य, अनुरक्षण कार्य, एवं आक्समिक कार्य) (लाख में)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण कार्य) (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	Block:-Manpur, Gaya Fatehpur Bypass Road Kurkatta To Gendhar Mushar Toli	1.801	Letter N0-418 Date-01.03.2024	159.733	157.865
2	Block:-Manpur, Khanjahapur RCD Road To Lodipur Nanhakchak Mahadalit Tola	4.700	Letter N0-418 Date-01.03.2024	400.989	396.675
3	Block:-Manpur, Gaya Nawada Main Road Masautha Kala Road To Tetaria Harizan Tola Badhai Tola	1.920	Letter N0-418 Date-01.03.2024	127.507	118.950
4	Block:-Manpur, Gaya Fatehpur Bypass Road To Mahadalit Girbal Tola	1.410	Letter N0-418 Date-01.03.2024	110.236	102.438
5	Block:-Manpur, Mirganj MR Road To Naudhariya Mahadalit Tola	2.190	Letter N0-418 Date-01.03.2024	181.611	169.527
6	Block:-Manpur, Gaya Khizarsarai Road To Jehana Primary School	2.860	Letter N0-418 Date-01.03.2024	196.455	183.564

अनु0–स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता–2 (गया)

Scanned with CamScanner